हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 8 मार्च, 2011

संख्याः वि0स0–वि–बिल/1–46/2011.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 1) जो आज दिनांक 8 मार्च, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

————————

2011 का विधेयक संख्यांक 1

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम संख्यांक 17) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम.––**इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

2. **धारा 2 का संशोधन.––**हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का 17) की धारा 2 के खण्ड (च) के उप–खण्ड (8) में, ''या उपाध्यक्ष'' शब्दों के स्थान पर '', उपाध्यक्ष या सदस्य'' चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 के विद्यमान उपबन्धों के अधीन, अन्यों के अतिरिक्त, जिला परिषद् और पंचायत समिति के अध्यक्षों या उपाध्यक्षों को, लोक आयुक्त, हिमाचल प्रदेश द्वारा उनके विरूद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए, ''लोक सेवक'' के अर्थ के अन्तर्गत लाया गया है। तेरहवें वित्त आयोग ने यह शर्त अधिकथित की है कि राज्य सरकार इसके स्थान पर या तो एक स्वतन्त्र स्थानीय निकाय लोकपाल की प्रणाली स्थापित करे या स्थानीय निकायों के सदस्यों के विरूद्ध भ्रष्टाचार और कुप्रशासन की शिकायतों की जांच करने तथा उनके विरूद्ध युक्तियुक्त कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए लोक आयुक्त को सशक्त किया जाना चाहिए। इसलिए, उक्त शर्त को पूर्ण करने के दृष्टिगत, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 को संशोधित करने के साथ–साथ उक्त अधिनियम के कार्यक्षेत्र का, जिला परिषद् या पंचायत समिति के सदस्यों के विरूद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए, विस्तार करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रेम कुमार धूमल)
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
तारीख : ....., 2011

———————

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

———————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

———————

Bill No. 1 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (AMENDMENT) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (Act No. 17 of 1983).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follow:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Lokayukta (Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (17 of 1983) in clause (f), in sub-clause (8), for the words and sign "or Vice-Chairman", the signs and words ", Vice-Chairman or Member"shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under the existing provisions of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983, besides others, Chairpersons or Vice-Chairpersons of the Zila Parishad and Panchayat Samiti are included in the meaning of "public servant" for inquiring into the complaints against them by the Lokayukta. The 13th Finance Commission have laid down condition that the State Government must put in place either a system of independent local body ombudsmen or the Lokayukta

should be empowered to look into complaints of corruption and mal-administration against the members of local bodies and recommend suitable action. Thus, with a view to meet the said condition, it has been decided to amend section 2 of the Act ibid and to extend the scope of the said Act to inquire into the complaints against members of the Zila Parishad or the Panchayat Samiti.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL)
Chief Minister.

SHIMLA :

Dated :....., 2011.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—